

R 365-IE/2001

(19)

500/2 ज० 4 ए० 2001
15/2/2001

शम्भू प्रसाद तनय स्व० काशी प्रसाद कुर्मी निवासी ग्राम खजुआ
तहसील गुट- जिला रीवा म०प्र० ---- निगरानीकर्ता


बनाम

- | | | |
|-----------------|--|--|
| 1- सालिक राम | | सभी के पिता श्री लोल्ले प्रसाद सभी |
| 2- अर्जनी कुमार | | निवासी ग्राम खजुआ- तहसील |
| 3- रजनीश कुमार | | गुट- जिला रीवा म०प्र० --- उत्तरवादी गण |

निगरानी विरुद्ध अपर आयुक्त महोदय रीवा स

जिलामण्डल द्वारा पारित निगरानी प्र० क्र०

4/95-96 निर्णय दिनांक 5-12-2000



15-2-2001
15 FEB 2001
21/02/01

RP 2449

20-2-2001

महोदय.

20-2-2001

निगरानी कर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षिप्त निम्न है

:- यह कि निगरानी कर्ता एवं उत्तर वादी गण एक ही परिवार के हैं। उत्तर वादी गण के सगे भाई लोल्ले प्रसाद के पुत्र हैं। अर्थात् निगरानी कर्ता एवं उत्तरवादी गण के पिता के बीच बटनवारे में अपील में अंकित वाद भूमि क्रमांक 915 रकवा 0-21 ए० 917 रकवा 1-33 ए०, 918 रकवा 0-10 ए० 919 रकवा 0-10ए, 920 रकवा 0-19ए, 1012 रकवा 6-14 1013/3 रकवा 1-23 ए० कुल सात कित्ता कुल रकवा 9-30 ए० स्थित मौजा महसाव पटवारी हल्का महसाव तह० गुट जिला रीवा मिली है किन्तु राजस्व अभिलेखों में उत्तर वादी गण के पिता का नाम अंकित नहीं है जो निगरानी कर्ता के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हेतु सहमति से अनाकान्त करते थे निगरानी कर्ता निगरानी में अंकित भूमिधों पर मौके पर काबिज था इस कारण राजस्व अभिलेखों में मौके के स्थिति के अनुसार क

[Handwritten signature]

R 365/11/08 दिवा श्रीधर/सालिमशय

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
<p>12-1-17</p>	<p>आवेदक अति. श्री रामशैल</p> <p>व्यक्ति उप) उनके पक्ष आवेदक की कोशिश के बाद निर्देश नहीं है कि वे अति. श्री श्रीधर अति. उप) प्रकरण प्रत्याक्षेप पुराना होने एवं कलमि होने से आवेदक समाप्त किया जाता है किन्तु सादर है।</p> <p>श्री</p> <p>श्री</p>	<p>No material plus gus</p> <p>अति. श्री 12-1-17 श्री श्रीधर श्री श्रीधर (श्री श्रीधर)</p>